

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चतरा।

विविध अपील वाद सं०-105/2017

बरत तुरी बनाम राज्य एवं अन्य

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

अभ्युक्ति

आदेश की
क्रम एवं
तारीख

28/07/22


आवेदक बरत तुरी, पिता-स्व० गंगु तुरी, साकिन-नवादा, थाना+पो० चतरा, जिला-चतरा द्वारा वकालतनामा के साथ विविध अपील वाद दाखिल किया गया है, यह अपील वाद अंचल अधिकारी, चतरा के विविध वाद संख्या-11/16-17 में पारित आदेश दिनांक-11.01.2017 द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अधिवक्ता के माध्यम से दायर किया गया हैं। तदनुसार यह वाद भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चतरा के न्यायालय में प्रारंभ किया गया।

उपरोक्त वाद की सुनवाई हेतु न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चतरा द्वारा संबंधित पक्षों को मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष द्वारा अपने-अपने पक्ष में लिखित बहस समर्पित किया गया।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित कथन/बहस में यह उल्लेखित किया है कि- यह है कि आवेदक/अपीलार्थी के परदादा गंशा तुरी, पिता-स्व० शिबु तुरी, ग्राम-नवादा, पो०+थाना-चतरा, जिला-चतरा के खाता संख्या-07, प्लॉट संख्या-371, रकवा-19 डी० (घर-बारी भूमि) एवं प्लॉट संख्या-372, रकवा-01 डी० (मकान सहन) कुल रकवा-20 डी० भूमि आवेदक के परदादा का नाम सर्वे खतियान में दर्ज है। तथा खाता संख्या-54, प्लॉट संख्या-374, रकवा-20 डी० (घरबारी भूमि), प्लॉट संख्या-375, रकवा-02 डी० कुल रकवा-22 डी० भूमि परदादा कोयलिया तुरी एवं खाता संख्या-100, प्लॉट संख्या-362, रकवा-24 डी०,

21

प्लॉट संख्या-363, रकवा-02 डी0 (मकान एवं सहन) जनकिया तुरी, पिता-गोखुल तुरी का नाम भी मौजा-नवादा, पो0+थाना-चतरा, जिला-चतरा के सर्वे खतियान में अंकित है। सर्वे रैयत वर्णित भूमि पर शांतिपूर्ण रूप से दखल काबिज रह कर भूतपूर्व जमीन्दार को लगान देकर रसीद प्राप्त करते रहें। सर्वे रैयत अपने जीवनकाल में विभिन्न प्रकार के फसल उगाकर बिना किसी विवाद के उपभोग में लाते रहे हैं। यह है कि खाता संख्या-07, 54 के सर्वे रैयत गंशा तुरी एवं कोयलिया तुरी नावलद मृत हो गये। इनके मृत्यु के पश्चात् जनकिया तुरी संयुक्त रूप से खाता संख्या-07, 54 एवं 100 के भूमि पर काबिज हुए तथा जमीन्दार को लगान देकर रसीद प्राप्त करते रहें हैं। यह है कि सर्वे रैयत का वंशावली निम्न प्रकार से है :-



यह है कि सर्वे रैयत अनवा तुरी@ जनकिया तुरी अपने पुत्र राधे तुरी को छोड़कर मृत हुए कुछ वर्ष बाद राधे तुरी अपने इकलौते पुत्र रंगु तुरी को छोड़कर मृत हो गये। अपने पिता की भूमि पर उत्तराधिकारी के रूप में

दखलकार होकर काबिज हुए। खाता संख्या-07, 54 एवं 100 की भूमि पर विपक्षी के साथ बिना किसी विवाद के जमीन्दार को लगान देकर लगान रसीद प्राप्त करते रहे हैं। जमीन्दारी उन्मूलन के बाद मौजा-नवादा, खाता संख्या-07, 54 एवं 100 के भूमि का रंगु तुरी के नाम से डिमाण्ड कायम हुआ तथा सरकारी रसीद भी निर्गत हुआ। यह है कि आवेदक के पिता शिक्षित व्यक्ति नहीं थे साथ ही साथ गरीब भी थे, जिस कारण नियम कानून की जानकारी नहीं थी अतएव सरकार को लगान नहीं दे सके। यह है कि विपक्षी के पिता रंग सिंह के नाम से खाता संख्या-07, 54 एवं 100 के लिए रसीद बिना किसी सक्षम पदाधिकारी के आदेश के वगैर ही निर्गत है। यह भी कानून है कि जमाबंदी कायम हाने से किसी का हक एवं अधिकार का निर्धारण नहीं होता है। विपक्षी का जमाबंदी गलत है, जो रद्द करने के योग्य है।" प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने लिखित बहस में उल्लेखित किया गया है कि-"यह कि अपीलार्थी के द्वारा लाया गया वाद विधितः पोषणीय है तथा अपीलार्थी के द्वारा लाया गया अपील स्वीकार करने के योग्य है। यह कि अपीलार्थी बुधन तुरी के वंशज है। यह कि बुधन तुरी सर्वे से पहले तीन पुत्र छोड़कर मरे जिनका नाम गोखुल तुरी, शिबु तुरी एवं होरिल तुरी थे। यह कि गोखुल तुरी, शिबु तुरी एवं होरिल तुरी भी सर्वे के पहले मृत्यु हो गई थी, जिस कारण से इनके पुत्रों के नाम से सर्वे खतियान तैयार किया गया था। यह कि अपीलार्थी एवं खतियानी रैयत से संबंध को वंशावली के माध्यम से दर्शाया गया है, जो इस लिखित बहस के अंतिम में वंशावली दर्शाया गया है। यह कि प्रश्नगत जमीन साकिन मौजा-नवादा, थाना-चतरा, जिला-चतरा के अंदर खाता संख्या 07, प्लॉट संख्या-371 रकवा 19 डी0, प्लॉट संख्या-372 रकवा 01 डी0 मकान एवं सहन कुल 20 डी0 जमीन अपीलार्थी के पूर्वज गणशा तुरी के नाम से सर्वे खतियानी रैयती जमीन है तथा खाता संख्या 54, प्लॉट संख्या 374 रकवा 20 डी0 घर-बारी,


नाम से कायम हुई तो फिर अपीलार्थी के पिता रंगु तुरी के नाम से विपक्षी को बिना कोई सूचना दिये तथा धनेश्वरी देवी के जमाबंदी को बिना रद्द किये कैरो कायम हुई। स्पष्ट है कि अपीलार्थी के द्वारा उक्त संदर्भ में दाखिल किया गया दस्तावेज पूर्णतः जाली/कूटरचित एवं बनावटी है। यह कि राजस्व न्यायालय में भूमि सुधार अधिनियम 1950 एक महत्वपूर्ण अधिनियम है तथा उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रश्नगत भूमि के भूतपूर्व जमीन्दार रंग सिंह ने जमीन्दारी रिटर्न 1956 में तत्कालिन अंचल अधिकारी, चतरा के समक्ष दाखिल किया है जिसके क्रमांक 04 में धनेश्वरी देवी को रैयत के रूप में अंकित किया गया है। यह कि यहां निवेदन करना है कि प्रश्नगत वाद में खतियानी सर्वे रैयत के द्वारा प्रश्नगत भूमि का इस्तिफा दिया गया जो छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 72 में नियमानुसार है। यदि इस्तिफा मौखिक भी किया गया तो उसके अनुरूप हुकुमनामा एवं रिटर्न दाखिल किया गया। यह कि अपीलार्थी का यह कथन कि विपक्षी का हुकुमनामा सादा है, निबंधित नहीं है कि संदर्भ में यह निवेदन करना है कि बिहार/झारखण्ड राज्य में अधिकंश निर्गत हुकुमनामा सादा है। परन्तु सादा हुकुमनामा के आलोक में ही यदि भूतपूर्व जमीन्दार के द्वारा जमीन्दार के द्वारा जमीन्दारी रिटर्न में रैयत के रूप में हुकुमनामा प्राप्तकर्ता अंकित है तो वह सर्वथा वैद्य है। यह कि अपीलार्थी का यह कथन प्रश्नगत भूमि के संदर्भ में तत्कालीन उपायुक्त हजारीबाग से इस्तिफानामा निर्गत के संबंध में पूर्वानुमति नहीं प्राप्त की गई है, पोषणीय नहीं है। क्योंकि उक्त अधिनियम प्रस्तुत मुकदमा में लागु नहीं होता है क्योंकि खतियानी रैयत का उसके वंशज से प्रश्नगत भूमि न तो खरीद की गई है, न तो दान पत्र ली गई है न तो एकरारनामा लीज/पट्ट या रेहननामा द्वारा लिया गया है। यह कि खतियानी सर्वे रैयत 1935 के पूर्व ही प्रश्नगत भूमि समर्पण कर दिये थे, फलस्वरूप उपायुक्त के पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं थी। यह कि


of of "Suraj Bhan & Ors.- versus- Financial Commissioner & Others, reported in (2007) 6 SCC 186" have held that entries in the revenue records does not confer title on a person whose name appears in record of-rights. The creation of Jamabandi neither creates any right and title in favour of one or the other nor cancellation of Jamabandi extinguishes right and title of actual owner. The entries in the revenue records or Jamabandi have only "fiscal purpose" and be ownership in conferred on the basis of such entries. The title of the property can only be decided by a competent civil court.

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के आधार पर संबंधित जमीन में स्वामित्व का मामला परिलक्षित होता है। खतियान के मुताबिक जमीन का किस्म रैयती है। अतः संबंधित मामले में इस न्यायालय से कोई निर्णय देना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस मामले में Competent civil court/सक्षम न्यायालय ही निर्णय ले सकता है। संबंधित पक्ष Competent civil court/ सक्षम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं।

संबंधित मूल अभिलेख एवं आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, चतरा को भेजें। वाद की प्रक्रिया समाप्त की जाती है।

(लेखापित एवं संशोधित)


28/07/2022
भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
चतरा।


28/07/2022
भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
चतरा।